भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
18.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3805 का उत्तर

पूर्वोत्तर रेल में लंबित परियोजनाएं

3805. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर रेल की उन परियोजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो रेल बोर्ड में लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं को पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या थावे स्टेशन की परियोजनाएं/प्रस्ताव रेल बोर्ड में लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त जंक्शन से रेलगाड़ियां चलाने से संबंधित प्रस्ताव/परियोजनाएं रेल बोर्ड में लंबे समय से लंबित हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इन परियोजनाओं/प्रस्तावों को इस क्षेत्र के बड़ी संख्या में निजी बस ऑपरेटरों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर विलंबित किया जा रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): देश भर में रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलों, मंडल कार्यालय आदि सहित विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर रेल

परियोजनाओं/निर्माण कार्यों के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे प्रस्तावों/शिकायतों/सुझावों का प्राप्त होना सतत् और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए ऐसे अनुरोधों का केन्द्रीकृत सार-संग्रह नहीं रखा जाता है। बहरहाल, इनकी जांच की जाती है और व्यवहार्य एवं औचित्यपूर्ण पाए जाने पर समय-समय पर इन पर कार्रवाई की जाती है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, पूर्वोत्तर रेलवे में स्थित रेल नेटवर्क की लाइन क्षमता में संवर्धन और वृद्धि के लिए, पूर्वोत्तर रेलवे की 24,288 करोड़ रु. की लागत की 1,695 कि.मी. कुल लंबाई वाली कुल 20 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (10 नई लाइनें, 02 आमान परिवर्तन और 08 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसमें से 366 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 9,310 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। कार्य की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है:

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	10	811	48	3066
आमान परिवर्तन	2	250	-	8
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	8	634	318	6236
कुल	32	1695	366	9310

पिछले 3 वर्षों (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) के दौरान और चालू वित्त वर्ष (2024-25) में पूर्वोत्तर रेलवे में 1710 कि.मी. कुल लंबाई वाले 43 अदद सर्वेक्षणों को स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

थावे जंक्शन सीवान-हथुआ-थावे-तमकुही रोड रेलवे लाइन द्वारा पहले ही मौजूदा रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। बहरहाल, गतिशीलता को और बेहतर बनाने के लिए, थावे जंक्शन पर गोपालगंज

और सासामूसा रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली 1.1 किलोमीटर लंबी बाईपास लाइन को स्वीकृति दी गई है।

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, लागत भागीदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा अपना हिस्सा जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए निधि आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल हैं। इनके परिणामस्वरूप, 2014 से कमीशनिंग की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्रों, प्रतीक्षालयों, शौचालयों, आवश्यकतानुसार लिफ्टों/स्वचालित सीढ़ियों, प्लेटफॉर्म की सतह और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल हैं।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों छोरों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टर बनाने की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, इस योजना के अंतर्गत 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से थावे स्टेशन सहित 59 स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आते हैं।
इस योजना के तहत थावे स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए निविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं तथा प्लेटफार्मों का विस्तार, प्लेटफार्म की सतह में सुधार, प्लेटफार्म शेल्टर, शौचालय, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग सुविधाएं, पहुंच मार्ग में सुधार आदि कार्य शुरू किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, भारतीय रेल पर रेलवे स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं।

रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है।

इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना, अतिलंघन (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण का वित्तपोषण सामान्यत: योजना शीर्ष-53 ग्राहक सुविधाएं के अंतर्गत किया जाता है। आवंटन का ब्यौरा योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार अथवा स्टेशन-वार या राज्य-वार। थावे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। वित्त वर्ष 2024-25 हेतु इस क्षेत्र के लिए योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत 550 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

अन्य बातों के साथ-साथ, नई रेल सेवाएं शुरू करने से संबंधित क्षेत्रीय रेलवे से प्रस्ताव प्राप्त होना, उनकी जांच करना और उन पर निर्णय लेना सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में, थावे जंक्शन को 30 गाड़ी सेवाओं द्वारा सेवित किया जा रहा है, जिनमें 06 मेल/एक्सप्रेस सेवाएँ शामिल हैं। इन नियमित सेवाओं के अलावा, 03215/16 थावे-पटना स्पेशल भी उक्त स्टेशन पर सेवा प्रदान कर रही है। इसके अलावा, भारतीय रेल में नई गाड़ी सेवाओं की शुरुआत परिचालनिक व्यवहार्यता, यातायात औचित्य, संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन एक सतत् प्रक्रिया है।

*****